सं0-74/2016/1868/62-2-2016-

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

2- परियोजना समन्वयक,
यू0पी0 डास्प, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- सदस्य सचिव,
उ0 प्र0 बायो एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड,
लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 04 जुलाई,2016

विषय- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत Imtegrated Pond Development and Pond Management की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यो का क्रियान्वयन किया जाना है। भारत सरकार के पत्र सं0-19-12/2016-RFS-III, दिनांक 12.05.2015 द्वारा यह सूचित किया गया है कि "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत Water Conservation Ground Water Recharge, Drought proofing measures इत्यादि के कार्य कराये जा सकते है तथा इस घटक के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अंश भारत सरकार का एवं 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का होगा। भारत सरकार द्वारा उक्त घटक के अन्तर्गत् उ0 प्र0 राज्य को केन्द्रांश के रूप में रू0-49.00 करोड अनंतिम रूप से संसूचित किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0-23.00 करोड की धनराशि सामान्य में, स्0-6.00 करोड की धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मे एवं रू0-0.2 करोड की धनराशि भारत सरकार द्वारा ड्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत निर्गत की जा चुकी है।

2- उक्त घटक के अन्तर्गत Imtegrated Pond Development के क्रियान्वयन का दायित्व लघु सिंचाई विभाग का होगा ताि वर्ष 2016-17 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा Integrated Pond and Pond Managment की योजना तैयार की गयी है, जिसके निम्नलिखित घटक है:-

(अ) तालाब का पुनर्विकास।

(ब) तालाब के बन्धों पर बायो एनर्जी प्लानटेशन।

(स) तालाब के रख-रखाव एवं जल प्रबन्धन हेतु पानी पंचायत का गठन।

3- उक्त योजनान्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में 01 हेक्टेयर से बडे आकार वाले तालाबों का पुनर्विकास किया जायेगा तथा इस संबंध में तालाब के पुनर्विकास के लिये प्राक्कलन, डिजाइन, ड्राइंग इत्यादि तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई के पत्र सं0-1090/ल0सिं0/कार्य/रा0ग्रा0पे0/2015-16, दिनांक 18.01.2016, पत्र सं0-1224/ल0सिं0/ कार्य-6/रा0ग्रा0पे0का0/2016-17, दिनांक 12.02.2016, पत्र सं0-1403/ल0सिं0/कार्य/रा.ग्रा.पे.-3/2016-17, दिनांक 13.04.2016 एवं पत्र सं0-78/ल0सिं0/कार्य/2016-17, दिनांक 28.4.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त जारी निर्देशों में तालाब के रैम्प एवं घाट बनाने का प्राविधान नही था, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत विकसित किये जाने वाले तालाबों में आवश्यकतानुसार एक-एक रैम्प एवं घाट का निर्माण भी किया जायेगा, जिसमें रैम्प की चौडाई 03 मी0 तथा घाट की चौडाई 05 मी0 से अधिक नही होगी तथा इनकी लम्बाई आवश्यकतानुसार रखी जायेगी।

4- तालाब के बन्धों पर बायो एनर्जी एवं अन्य प्लान्टेशन का कार्य उ0 प्र0 बायो एनर्जी डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा कराया जायेगा, जिसमें तालाब के बन्धों के ऊपर नीम, नीबू, माल्टा इत्यादि के पौधे लगाये जायेंगे तथा कोनों (Corner) पर बीम बॉस लगाये जायेंगे एवं बन्धों के ढलान पर लेमन ग्रास व अन्य स्थानीय परिवेश के उपयुक्त पौधे लगाये जायेंगे, इसकी लागत बन्धे लम्बाई के अनुसार रू0-75.00 प्रति रनिंग मीटर होगी, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 10 प्रतिशत वैरिऐशन हो सकता है। इस कार्य में आने वाली कुल लागत का प्राविधान प्राइज़ में किया जायेगा तथा लघु सिंचाई वि0ा0ग द्वारा इस कार्य की धनराशि उ0 प्र0 बायो एनर्जी डेवलपमेन्ट बोर्ड को तालाबवार उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका उपभोग होने के पश्चात उपभोग प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बायो एनर्जी बोर्ड द्वारा प्लान्टेशन से हुए उत्पादन की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिग हेतु भी पानी पंचायत को सक्षम बनाया जायेगा।

5- जल प्रबन्धन, जल सुरक्षा तथा तालाब के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु पानी पंचायत का गठन यू0पी0 डास्प के माध्यम से कराया जायेगा, जिसमें समूहों का गठन एवं सशक्तिकरण तथा महिला पंचायत का गठन, जल सुरक्षा प्लान और उसका क्रियान्वयन, जल साक्षरता अभियान, जल एवं जीविका का परम्परिक संबंध, जन प्रचार एवं सर्मथन (एडवोकेसी) इत्यादि से संबंधित कार्य कराये जायेंगे। एक पंचायत के गठन पर एवं इससे संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु रू0-50,000.00 की व्यवस्था प्रति तालाब प्राक्कलन

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में की जायेगी। जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 10 प्रतिश वैरीयेशन हो सकता है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा इस कार्य की धनराशि यू0पी0 डास्प को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका उपभोग होने के पश्चात उपभोग प्रमाण पत्र यू0पी0 डास्प द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

6- पानी पंचायत के गठन की प्रक्रिया तथा इनके बाईलाज के संबंध में निर्देश यू0पी0 डास्प द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

7- वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 32 जनपदों के 92 अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में 312 तालाबों को समेकित विकास एवं प्रबन्धन की उक्त योजना के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु अनन्तिम लक्ष्य निर्धारित किये गये है। जनपद स्तर पर 01 हेक्टेयर से बडे आकार वाले तालाबों की सूची में से विकास खण्डवार तालाबों का चिन्हांकन कर उपरोक्त दिशा- निर्देशों के अनुसार परियोजना तैयार कराकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त जनपदों एवं विकास खण्डों तथा तालाबों के लक्ष्यों का विवरण संलग्नक-1 पर दृष्टव्य है, इसमें स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में परिवर्तन हो सकता है। पूर्व निर्देशों के अनुसार विकसित किये जाने वाले तालाबों का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टेक्निकल कोआर्डिनेशन कमेटी से कराना अनिवार्य होगा।

8- उक्त योजना के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे तालाबों की जी0पी0एस0 कोआर्डीनेटस, जी0आई0एस0 मैपिंग से संबंधित कार्यवाही शासनादेश सं0-1667/62-2-2016-19एम0आई0/2014टीसी, दिनांक 16.06.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी और परियोजनाओं का अनुमोदन इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

9- तालाबों के विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत इन्हें पानी पंचायत को रख-रखाव एवं संरक्षण हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा। तालाब के बन्धों पर हुए प्लान्टेशन से होने वाली आय पानी पंचायत के खाते में जायेगी, जिसका उपयोग तालाब के रख-रखाव एवं संरक्षण हेतु पानी पंचायत द्वारा किया जायेगा।

10- तालाब के क्षेत्रफल का डिमार्केशन उपजिलाधिकारी के समक्ष संबंधित लेखपाल द्वारा योजना स्वीकृत होने के उपरांत 15 दिन में सुनिश्चित कराया जायेगा और यदि तालाब में अवैध कब्जा है तो उसे जिलाधिकारी द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर हटाया जायेगा।

11- उक्त योजना के अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्ष 2016-17 एवं आगामी वर्षो में 01 है0 से अधिक क्षेत्रफल के सभी तालाबों का पूर्ण विकास किया जाय। अतः योजना का नियोजन इस प्रकार किया जाय कि विकास खण्ड विशेष में 01 है0 से अधिक आकार के सभी तालाबों का पुनर्विकास आगामी वर्षो में हो जाय और विकास खण्ड संतृप्त हो जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार योजनाओं की संरचना कराते हुए संलग्न रूपपत्र पर 15 दिनों में वांछित सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि धनराशि अवमुक्त कराये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा सके। साथ ही सन्दर्भित योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति भी सक्षम स्तर से प्राथमिकता प्राइज़ की जा सके। साथ ही संदर्भित योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति भी सक्षम स्तर से प्राथमिकता पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीया,
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-74/2016/1868(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रशंसकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- स्टाफ आफिसर/विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
10- अधीक्षण अभियंता/निदेशक,(प्रशिक्षण) लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
11- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, उ0प्र0 ।
12- समस्त अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड उ0प्र0 ।
13- समस्त सहायक अभियंता, लघु सिंचाई उपखण्ड, उ0 प्र0।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in